ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 9-11 नवम्बर 2016 जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जोधपुर

क्रमांक/उनिकृ/लेखा/निविदा/2016-17/ 20031-38 दिनांक 8/8/16

निविदा सूचना संख्या 06/16-17

इस कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत कृषको को जिला के अन्दर, राज्य मे एवं राज्य के बाहर कृषक भ्रमण हेतु 52 (3x2) सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर वर्ष 2016-17 मे जब आवश्यकता हो के आधार पर किराये पर लेने हेतु वाहन मालिको /ट्रेवल एजेन्सी ,वाहन किराये पर उपलब्ध कराने वाली फर्मो से सीलबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है ।निविदा फार्म कार्यालय दिवस मे कार्यालय समय मे प्राप्त एव देखी जा सकती है । उक्त निविदा को http://sppp.raj.gov.in पोर्टल व कृषि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

अनुमानित व्यय राशि	बयाना राशि	फार्म शुल्क राशि	निविदा फार्म
1.50 लाख	3000	200	दिनांक 8.8.16 से कार्यालय समय मे दिनांक 19.8.2016 कार्यालय समय तक तथा भरी हुई निविदाए दिनांक 22.8.16 को 2.00 बजे तक प्राप्त एव 3.00 बजे खोली जायेगी ।

(वीरेन्द्र सिंह सोलंकी)
उप निदेशक कृषि (वि)
जिला परिषद जोधपुर

क्रमांक/उनिकृ/लेखा/निविदा/2016-17/ 20031-38 दिनांक 8/8/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान वित्तीय सलाहाकार कृशि आयुक्तालय जयपुर ।
2. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर ।
3. श्रीमान सहायक कम्प्युटर प्रोगामर कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे ।
4. संपादक राजस्थान पत्रिका जोधपुर को न्यूनतम साईज मे डीपीआर दर पर प्रकाशित करावे ।
5. नोटिस बोर्ड कार्यलय हाजा ।
6. लेखा शाखा /भंडार पाल कार्यलय हाजा ।

(वीरेन्द्र सिंह सोलंकी)
उप निदेशक कृषि (वि)
जिला परिषद जोधपुर

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद, जोधपुर
कोष कोड सं. 472

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रोटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जोधपुर

निविदा फार्म शुल्क – 200

नकद / बैंकर चैक / डीडी संख्या ....

दिनांक ....

जारी दिनांक ....

निविदा प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिशद जोधपुर ।
2	निविदा सूचना सख्या	कमाक / उनिकृ / लेखा / निविदा / 2016–17 / दिनाक
3	बयाना राशि	रू 3000 / – बैंकर चैक / डीडी सख्या .... दिनाक
4	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम .... टेलीफोन न. ....मोबाईल न.......................पैन न ....
5	थनविदा फार्म प्राप्त करने की दिनाक व समय निविदा प्राप्त एव खेलने की दिनाक व समय	दिनाक 8.8.2016 से कार्यालय समय मे दिनाक 19.8.2016को कार्यालय समय तक दिनाक 22.8.2016 को 2.00 बजे तक प्राप्त एव 3.00 बजे खोली जायेगी
6	सलग्न दस्तावेज	वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेश प्रमाण पत्र परमिट,इश्योरेन्स,चालक लाईसेंस की फोटो प्रतिया सलग्न करे ।
7	अनुबध अवधि	वित्तीय वर्ष 2016–17 मे दिनाक 31.3.2017 तक जब आवश्यकता होने के आधार पर
8	कार्य का विवरण	वर्ष 2016–17 जब आवश्यकता हो के आधार पर जिले मे कृषको जिला भ्रमण एव राज्य / राज्य के बाहर भ्रमण हेतु 52 सीटर (3x2) सेमी डिलक्स बस किराए पर लेने हेतु ।
9	प्रस्तावित दर	वाहन (सेमी डीलक्स बस) किराये हेतु प्रस्तावित दरे

बस का प्रकार	भ्रमण का प्रकार	दर प्रति किलोमिटर कर रहित	दर प्रति किलोमिटर कर सहित (अन्य राज्यो का बोर्डर कर एव टोल टैक्स पार्किंग टैक्स सहित)
3x2 पुश बैक 52 सीटर सेमी डीलक्स बस	जिले के अन्दर एव राज्य मे कृषक भ्रमण	अंको मे .... शब्दो मे	अंको मे शब्दो मे ....
	राज्य के बाहर कृषक भ्रमण	अंको मे .... शब्दो मे	अंको मे .... शब्दो मे ....

मैने / हमने उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद जोधपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया लिया है तथा मुझे / हमे निविदा की समस्त शर्ते मजूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद्, जोधपुर
कोष कोड सं. 472

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद जोधपुर

निविदा की शर्ते

कार्यालय द्वारा वर्ष 2016–2017 मे कृषि योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणो मे एव अन्तर्राज्जीय /राज्य भ्रमण हेतु किराये पर वाहन बस उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 6/2016–17 की शर्ते –

1. इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा मे दिये गये निदेशों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे मे निविदा प्रस्तत की जावेगी जिस पर जिस पर कृषक भ्रमण हेतु सेमी डिलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा लिखकर ही प्रस्तुत करे । निविदा खुली होने पर स्वीकार नही की जावेगी ।
2. वाहन की कर रहित दरो मे वाहन पर डिजल व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जावेगा । वाहन पर देय बोर्डर टैक्स अन्य राज्यो का कर , टोल टैक्स का ही भुगतान किया जावेगा ।
3. वाहन पर होने वाले समस्त व्यय डिजल वाहन चालक एव इससे संबधित व्यय वाहन मरम्मत आदि का व्यय का समस्त भुगतान निविदादाता द्वारा किया जावेगा ।
4. कर रहित दरो मे वाहान का ऑल राजस्थान परमिट एव टी.पी. व्यय राज्य के भीतर के लिए व्यय आदि का व्यय निविदादाता का होगा ।
5. निविदा मे किसी भी प्रकार की कांट छाट नही करे ऐसी निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
6. निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि रूपये 3000 का बैंकर चैक/डीडी सलग्न आवश्यक है । सफल निविदादाता को धरोहर राशि के रूप मे रू 7500 का बैंकर चैक /डीडी प्रस्तुत करना होगा जो कार्य समाप्ति के पश्चात लौटा दी जावेगी ।
7. निविदा वाहन मालिक ट्रेवल्स एजेन्सी एव किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाली अनुभवी फर्म के द्वारा ही प्रस्तुत की जावे ।
8. निविदादाता का वाणिज्य कर विभाग मे पंजीयन होना आवश्यक है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न करे ।
9. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि मे से नियामानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करो की कटौती की जावेगी । पैन कार्ड की प्रति सलग्न करे ।
10. निविदादाता को अपनी दरे अंको एव शब्दो में साफ–साफ अंकित होना चाहिए इनमे कोई त्रुटिया/अपरिलेखन /अशुद्विया/कांट–छांट नही होनी चाहिए ।
11. सर्शत निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
12. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।
13. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए (दिनांक 31.3.2017 तक के लिए ही) मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा ।
14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा ।
15. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी का सब लेट नही करेगा ।
16. निविदा मे दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है ।
17. वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नही हो एव सीटे सही आरामदायक होनी चाहिए ।

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद, जोधपुर
कोड सं. 472

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर

18. सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गये रूट चार्ट के अनुसार ही कृषक भ्रमण के दौरान वाहन का ले जाना होगा ।
19. वाहन की किराये की दरे प्रति किलो मीटर से प्रस्तावित की जावे ।
20. वाहन की किराये की दरो मे व्यय प्रति किलो मीटर से प्रस्तावित कर रहित मे डीजल / ऑयल एव वाहन रिपेयर मरम्मत एव चालक आदि का व्यय निविदादाता का होगा ।
21. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत / नुकसान / चालान आदि होने पर इनका का व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जावेगा । यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे रात्रि विश्राम व व अन्य कर के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा
22. वाहन चालक विनम्र हो एव भ्रमण के दौरान किसी प्रकार के नशीले प्रदार्थ का सेवन नही करेगा ।
23. भ्रमण के प्रथम दिन इस कार्यालय मे वाहन चालक मय वाहन उपस्थित होगा एव भ्रमण का प्रारम्भ एव समाप्ति इस कार्यालय मे ही होगी , तदनुसार दूरी की गणना की जायेगी ।
24. किराये पर लिये जाने वाले वाहनो की संख्या मे आवश्यकता के अनुसार मांग मे परिवर्तन किया जा सकता है ।
25. वाहन भ्रमण की लॉग शीट भरकर वाहन के साथ भ्रमण करने वाले प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी से प्रमाणीकरण कर प्रस्तुत होगी तभी भुगतान दिया जावेगा ।
26. वाहन निर्धारित समय व स्थान पर उपलब्ध नही होने या वाहन मे खराब होने की स्थिति मे निविदादाता को तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था के व्यय का वहन उसके द्वारा ही किया जावेगा ।
27. निविदादाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न मूल दस्तावेज वाहन के साथ मे आवश्यक रूप से रखने होगे ।
    1. वाहन का पंजियन प्रमाण पत्र
    2. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र (लाईसेस) ।
    3. वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र ।
    4. वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र ।
    5. वाहन का वैध बीमा संबंधी प्रमाण पत्र।
    6. वाहन का प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र ।
    7. वाहन का वैध परमिट (राज्य के बाहर हेतु ऑल इण्डिया परमिट)होना आवश्यक है ।
28. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम के अनुसार लागू होगी ।

उपरोक्त क्रम संख्या 1से 28 तक की शर्ते मुझे / हमे स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि (वि.)
जिला परिषद्, जोधपुर
कोड सं. 472